सुधीर एम0 बोबडे,

आई0ए0एस0,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

अत्यन्त महत्वपूर्ण /व्यवस्थापन–2009–10

लय 2642999 निवास 2622073

शासकीय पत्रंक: **25481–25551**/दस–
लाइसेंस–367(खण्ड–3)/आबकारी नीति/2009–10

दिनांकःइलाहाबाद : फरवरी 12 ::2009

प्रिय महोदय,

शासन के आदेश सं0 320 ई–2/तेरह–2009–115/2008/दिनांक 11–02–09 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा वर्ष 2009–10 में आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आबकारी नीति की घोषणा की गयी है, जो निम्नानुसार हैः–

1– वर्ष 2009–10 के लिए शासन द्वारा मेरठ जोन को (बरेली प्रभार सहित) विशिष्ट जोन घोषित करते हुए इस क्षेत्र की देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों तथा माडल शाप का व्यवस्थापन प्रदेश के अन्य जोनों के व्यवस्थापन की व्यवस्था से भिन्न रुप से किया जायेगा। इस विशिष्ट जोन की दुकानों का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य के नियंत्रणाधीन शीर्ष सहकारी संस्थाओं /निगम के माध्यम से आवेदन के उपरान्त अनुज्ञापन देकर सम्पन्न कराया जायेगा। इन संस्थाओं द्वारा विशिष्ट जोन के लिए आवेदनपत्र के साथ सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा तथा बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स की निर्धारित धरोहर धनराशि का ड्राफ्ट संलग्न किया जाएगा, जो जनपदों की दुकानों सम्बन्धी अनुज्ञापत्र प्राप्त कर लेने पर वापसी योग्य होगा। आवेदक ज्वाइन्ट वेन्चर भागीदारी में भी आवदेन प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु इन संस्थाओं द्वारा ऐसे ज्वाइन्ट वेन्चर भागीदार का चयन पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया से आबकारी राजस्व की सुरक्षा के दृष्टिगत किया जाएगा।

(अ) आवेदन हेतु निम्न अर्हतायें होंगीः–

(क) राज्य के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश राज्य की शीर्ष सहकारी संस्थायें/निगम।

(ख) ऐसी संस्था/निगम को अनुज्ञापी के रूप में मदिरा की फुटकर बिक्री का अनुभव हो। इस हेतु आबकारी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र/अनुज्ञापन प्रस्तुत करना होगा।

(ग) ऐसी संस्था/निगम आबकारी देयों का बकायेदार न हो।

(घ) ऐसी संस्था/निगम, जो आबकारी लाइसेन्स धारण करने हेतु अन्यथा अनुपयुक्त न हो।

(ब) आवेदन प्राप्त करने एवं अर्ह आवेदकों में अनुज्ञापी चयन करने हेतु निम्न प्रक्रिया होगीः–

(क) आबकारी आयुक्त द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित कर समुचित प्रचार–प्रसार कर आवेदनपत्र मांगे जांएगे।

(ख) ऐसे आवेदन प्राप्त करने हेतु समुचित अवसर उपलब्ध कराया जाएगा।

(ग) प्राप्त आवेदनपत्रें का युक्ति–युक्त परीक्षण कर अर्ह आवेदकों का चिन्हांकन किया जाएगा।

(घ) एक से अधिक अर्ह आवेदन चिन्हित होने की दशा में सफल आवेदक का चयन लाटरी से पारदर्शी ढ़ंग से किया जाएगा।

(ड़) एक ही अर्ह आवेदन चिन्हित होने की दशा में ऐसे सफल आवेदक को चयनित किया जाएगा।

2– आगरा,वाराणसी तथा लखनऊ (बरेली प्रभार को छोड़कर) जोन में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों व मॉडल शाप का व्यवस्थापन :–

उपरोक्त जोनों में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं मॉडल शाप्स का व्यवस्थापन वर्ष 2009–10 हेतु सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जाएगा।

उपरोक्तानुसार प्रस्तर 1 व 2 के अनुसार विशिष्ट जोन/ विस्तारित मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) व अन्य जोनों में व्यवस्थित लाइसेंसों की अवधि एक आबकारी वर्ष (2009–10) अथवा उसके भाग जिसके लिए लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, होगी, परन्तु यदि अनुज्ञापी चाहे, तो वह आगामी वर्ष 2010–11 या उसके भाग के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण या उसकी अवधि का विस्तारीकरण ऐसे निबंधन और शर्तों पर करा सकता है, जो यथासमय राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार प्रस्तर–1 व 2 के अन्तर्गत **दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी, उपायुक्त प्रभार, संयुक्त आबकारी आयुक्त जोन व आबकारी आयुक्त,उ0प्र0, इलाहाबाद के कार्यालयों से प्राप्त किये जा सकेंगे। दुकानों के व्यवस्थापन में एकाधिकार रोकने एवं पारदर्शिता बनाये रखने हेतु उपरोक्त के साथ ही साथ वर्ष 2008–09 की भांति आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त कार्यालय में भी जमा करने की व्यवस्था रहेगी, किन्तु आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के कार्यालय में आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि से एक दिन पूर्व तक जमा किये जा सकेंगे।**

3. देशी शराबः–

3.1 देशी शराब का एम.जी.क्यू.ः–

प्रदेश के वर्ष 2008–09 के लिए वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. में आगरा, वाराणसी एवं लखनऊ जोन (बरेली प्रभार को छोड़कर) में 7 प्रतिशत तथा मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) में 8 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

(क) सामान्यता एम.जी.क्यू. निर्धारण के लिए वर्ष 2008–09 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. को आधार माना जायेगा, तथा उसी पर जोन के लिए निर्धारित उपरोक्तानुसार वृद्धि करके वर्ष 2009–10 के लिए जनपदों की दुकानों का एम.जी.क्यू. निर्धारित किया जायेगा। मध्य सत्र में व्यवस्थित दुकानों के संबंध में व्यवस्थापन की तिथि तक व्ययगत अवधि के एम.जी.क्यू. को समानुपातिक रुप से बढ़ाकर वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. का आगणन किया जायेगा।

(ख) यदि क्षेत्रिय आबकारी निरीक्षक और जिला आबकारी अधिकारी द्वारा स्वंय के द्वारा किये गये दुकानों के निरीक्षण अथवा दुकानों की वास्तविक बिक्री के आधार पर किसी दुकान विशेष का एम.जी.क्यू. कम या अधिक अनुभव हो रहा है, तो वह वर्ष 2008–09 के एम.जी.क्यू. में 10 प्रतिशत की सीमा तक बढ़ोतरी/घटोत्तरी करके वर्ष 2009–10 के लिए दुकान के एम.जी.क्यू. का निर्धारण करेंगे।

(ग) प्रदेश में पूर्व से स्वीकृत देशी शराब की सभी **उप दुकानों को समाप्त** किया जाता है। ऐसी उप दुकानें जिनका एम.जी.क्यू. निर्धारित था, के एम.जी.क्यू. का व्यवस्थापन तथा यथावश्यकता पूर्व स्थापित मूल दुकानों/नवसृजित दुकानों में समावेशित कर पुनर्निर्धारित करते हुए, कराया जाएगा। उप दुकानों के समाप्त होने से रिक्त हो रहे स्थान पर अथवा उसे युक्ति–युक्त कर परिवर्तित करते हुए यथावश्यकता दुकानों का नवसृजन भी इन स्थानों पर कराया जा सकता है। **इस संबंध में जनपद स्तर पर निर्गत विज्ञप्ति से पूर्व नवसृजन करा लिया जाय।**

(घ) जनपद विशेष में पूर्व व्यवस्थित वार्षिक एम.जी.क्यू. एवं उपरोक्तानुसार बढ़ रहे एम.जी.क्यू. सहित समस्त एम.जी.क्यू. का समावेश वास्तविक उपभोग क्षमता की युक्ति–युक्त की गयी वर्तमान दुकानों एवं नवसृजित दुकानों में प्रत्येक दशा में किया जाना अनिवार्य होगा।

(ड़) उपरोक्तानुसार वर्ष 2009–10 के एम.जी.क्यू. को दुकानवार/क्षेत्रवार आबकारी निरीक्षकों द्वारा तथा दुकानवार/क्षेत्रवार/जिलेवार जिला आबकारी अधिकारी द्वारा करने के उपरान्त उप आबकारी आयुक्त प्रभार की सहमति लेने के पश्चात लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर निर्धारित किया जाएगा और ऐसे निर्धारित एम0जी0क्यू0 पर ही व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(च) उपरोक्तानुसार दुकानों के लिए निर्धारित एम.जी.क्यू पर क्षेत्र, जनपद, प्रभार एवं जोन की शत–प्रतिशत दुकानों के **व्यवस्थापन के लिए कमशः क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, जनपद के जिला आबकारी अधिकारी, प्रभार के उप आबकारी आयुक्त एवं जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त उत्तरदायी होंगे।**

3.2 देशी शराब की बेसिक लाइसेंस फीसः–

देशी शराब की बेसिक लाइसेंस फीस वर्ष 2009–10 हेतु रु0 20/– प्रति ब0ली0 निर्धारित की गयी है।

3.3 देशी शराब की प्रतिफल फीसः–

देशी शराब की प्रतिफल फीस वर्ष 2009–10 हेतु रु0 108/– प्रति ब0ली0 निर्धारित की गयी है।

3.4. देशी शराब की दुकानों का व्यवस्थापन :–

(प) देशी शराब की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन, उपरोक्त प्रस्तर–1 व 2 के अनुसार किया जाएगा।

(पप) वाराणसी, लखनऊ (बरेली प्रभार को छोड़कर) व आगरा जोन की दुकानों का व्यवस्थापन आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा। साथ ही मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) का व्यवस्थापन भी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही सम्पन्न कराया जायेगा।

(पपप) वाराणसी, लखनऊ (बरेली प्रभार को छोड़कर) व आगरा जोन की व्यवस्थापन को अवशेष रह गयी दुकानों का व्यवस्थापन द्वितीय चरण का आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2009–10 की निर्धारित लाइसेंस फीस पर ही किया जायेगा।

(पअ) तृतीय चरण में उपरोक्त व्यवस्थापन में अवशेष रह गयी दुकानों का व्यवस्थापन शासन द्वारा इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णयानुसार कराया जाएगा, परन्तु इस संबंध में सम्बन्धित अधिकारियों के उत्तरदायित्व का परीक्षण जनपद की परिस्थितियों के क्रम में अवश्य किया जाएगा।

3.5. देशी शराब की फुटकर दुकानों हेतु प्रोसेसिंग फीसः–

वर्ष 2009–10 के लिये आवेदन पत्र प्रोसेंसिंग फीस रु0 3000/– प्रति आवेदन पत्र निर्धारित की गयी है।

3.6. देशी मदिरा की श्रेणियाँ एवं मूल्य निर्धारणः–

वर्ष 2008–09 में देशी शराब की निम्नानुसार तीन श्रेणियां प्रचलित हैः–

1–25: वी/वी (सादा)

2–36: वी/वी (मसाला)

3–42.8: वी/वी (मसाला)

उक्त श्रेणियों को वर्ष 2009–10 में यथावत रखते हुए, केवल 25 प्रतिशत वी/वी श्रेणी में सादा के साथ–साथ मसाला भी प्रचलित की जा रही है। विभिन्न श्रेणियों के लिए कैप्सूल एवं लेबुलों बार्डर के रंग निम्नवत होंगे :–

क्रमांक	मद	ढक्कन का रंग	लेबुलों के बार्डर का रंग
1	2	3	4
1	25: वी/वी (सादा/मसाला)	हरा	हरा
2	36: वी/वी (मसाला)	नीला	नीला

3	42.8: वी/वी (मसाला)	लाल	लाल

वर्ष 2008–09 में लागू प्रतिबन्ध वर्ष 2009–10 के लिए यथावत रहेंगे।

उक्त तीनों श्रेणियों के विभिन्न धारिताओं के अधिकतम थोक/फुटकर विक्रय मूल्य वर्ष 2009–10 के लिए निम्नानुसार निर्धारित किये गये है:–

देशी शराब –सादा/ मसालेदार (25: वी/वी में)

अधिकतम थोक/फुटकर विक्रय मूल्य (वर्ष 2009–10 के लिए)

क्रम सं0	धारिता (मि0ली0 में)	750	375	200	180	140	100	240	525	1100
1	अधिकतम थोक विक्रय मूल्य	**75.21**	**39.88**	**22.26**	**20.46**	**16.39**	**12.82**	**26.14**	**53.85**	**106.85**
2	अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य	**97.00**	**51.00**	**28.00**	**26.00**	**21.00**	**16.00**	**33.00**	**70.00**	**138.00**

देशी शराब –मसालेदार (तीव्र) (36: वी/वी में)

अधिकतम थोक/फुटकर विक्रय मूल्य (वर्ष 2009–10 के लिए)

क्रम सं0	धारिता (मि0ली0 में)	750	375	200	180	140	100	240	525	1100
1	अधिकतम थोक विक्रय मूल्य	**103.90**	**54.22**	**29.91**	**27.35**	**21.74**	**16.64**	**35.32**	**73.93**	**148.92**
2	अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य	**137.00**	**70.00**	**39.00**	**35.00**	**28.00**	**21.00**	**46.00**	**97.00**	**197.00**

देशी शराब –मसालेदार (तीव्र) (42ण्8: वी/वी में)

अधिकतम थोक/फुटकर विक्रय मूल्य (वर्ष 2009–10 के लिए)

क्रम सं0	धारिता (मि0ली0 में)	750	375	200	180	140	100	240	525	1100
1	अधिकतम थोक विक्रय मूल्य	**121.59**	**63.07**	**34.63**	**31.60**	**25.05**	**19.00**	**40.98**	**86.31**	**174.87**
2	अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य	**159.00**	**82.00**	**45.00**	**41.00**	**32.00**	**24.00**	**53.00**	**114.00**	**232.00**

3.7. देशी शराब की दुकानों का सृजनः–

वर्ष 2009–10 हेतु 15 प्रतिशत नई दुकानों को सृजन का आबकारी आयुक्त, कर सकते हैं। 15 प्रतिशत से अधिक की माँग होने पर शासन की स्वीकृति से दुकानों का सृजन किया जा सकेगा।

वर्ष 2009–10 हेतु सभी निकायों में देशी शराब की नवसृजित दुकान का न्यूनतम एम.जी.क्यू. निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :–

निकाय	वर्ष 2009–10 के लिए निकाय विशेष के लिए न्यूनतम निर्धारित की जाने वाली मात्र (बी0एल0 में)
ग्रामीण	6000
नगर पंचायत	7000
नगर पालिका	12000
नगर निगम	17000

उपरोक्त एम.जी.क्यू. में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत पूर्व परिपत्रें एवं अग्रेतर निर्गत परिपत्रें के आधार पर दुकान की प्रास्थिति एवं निकटवर्ती दुकानों के एम.जी.क्यू. के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त न्यूनतम एम.जी.क्यू. में युक्ति–युक्ति वृद्धि करके निर्धारित करने के लिए लाइसेंस प्राधिकारी सक्षम होंगे। इन नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जाएगा।

3.8 देशी शराब की थोक आपूर्तिः–

देशी शराब की थोक आपूर्ति प्रदेश के प्रत्येक जोनवार ऐसी इकाई के माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया गया है, जो जोन एवं उसके प्रत्येक जनपद में अनुज्ञापन प्राप्त करेगी तथा विभिन्न आसवनियों से स्थानीय मांग के अनुसार विभिन्न प्रकार के ब्राण्डों की आपूर्ति यथा मांग ग्लास/पेट बोतलों में सुनिश्चित करेगी। ऐसी इकाई को जोन स्तर पर सी0एल0–1बी अनुज्ञापन तथा जनपद स्तर पर सी0एल0–1सी अनुज्ञापन लेंना अनिवार्य होगा, जो निम्नानुसार दिया जायेगा :–

(क) सी0एल0–1बी अनुज्ञापनः–

प्रत्येक जोन में एक सी0एल0–1बी अनुज्ञापन होगा। इस अनुज्ञापन हेतु आवेदक की अर्हताएं निम्न प्रकार होंगीः–

1– 21 वर्ष्ा की आयु से अधिक का व्यक्ति, जो भारत का नागरिक हो, रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म या कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी ही अर्ह होगी। कन्र्सोटियम अर्ह नहीं होंगे। पंजीकृत कम्पनी की स्थिति में आर्टिकिल आफ एसोसियेशन, मेमोरेण्डम आफ एसोसियेशन एवं सर्टीफिकेट आफ इनकारपारेशन प्रस्तुत करना होगा। रजिस्टर्ड भागीदारी कम्पनी की स्थिति में रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी। किसी व्यक्ति होने की स्थिति में, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करेगा।

2– इस अनुज्ञापन के अन्तर्गत किये जाने वाले व्यापार में निहित धनराशि के दृष्टिगत राजस्व सुरक्षा की दृष्टि से आवेदक की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होना अत्यन्त आवश्यक है। अतः ऐसे आवेदक का शराब के थोक व्यवसाय में वर्ष 2006–07, 2007–08 या 2008–09 में से किसी एक वित्तीय वर्ष में रु0 400 करोड़ का न्यूनतम टर्नओवर होना चाहिए। टर्नओवर के प्रमाण के रुप में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश के आबकारी अथवा वाणिज्यकर विभागों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य होंगे।

3– शराब के थोक व्यवसाय में अनुज्ञापी के रुप में अनुभव हो, आबकारी राजस्व का बकायेदार न हों एवं लाइसेंस धारण हेतु अन्यथा अनुपयुक्त न हो।

4– आवेदक प्रत्येक जोन के सी0एल0–1बी अनुज्ञापन के लिये पृथक–पृथक आवेदन करने हेतु स्वतंत्र होगा।

5– अनुज्ञापन हेतु आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत किया जायेगा।

6– चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित बैलेंस शीट प्रस्तुत करनी होगी।

7– ऐसा आवेदक अल्कोहल उत्पादक/मदिरा का निर्माता नहीं होना चाहिए।

8– आवेदक को पैन नं0 प्रस्तुत करना होगा।

9– इस अनुज्ञापन का अनुज्ञापन शुल्क रु0 8 करोड़ तथा प्रतिभूति धनराशि रु0 80 लाख बैंक ड्राफ्ट के रुप देय होगा। उपरोक्त अनुज्ञापन शुल्क निम्नानुसार जमा किया जायेगाः–

रु0 2.50 करोड़	आवेदन स्वीकृति के समय
रु0 2.50 करोड़	दिनांक 30.06.09 तक
रु0 3.00 करोड़	दिनांक 30.09.09 तक

10– अनुज्ञापन हेतु आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग फीस रु0 2.00 लाख होगी। धरोहर धनराशि रु0 50.00 लाख होगी, जो आवेदक के अनुज्ञापी के रुप में चयनित हो जाने की दशा में लाइसेंस फीस में समायोजनीय होगी।

इस अनुज्ञापन के लिए आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समाचार पत्रें में विज्ञापन देकर समुचित प्रचार प्रसार कराया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्रें में से, अर्हताएं पूर्ण करने वाले एक से अधिक आवेदकों के मध्य आवंटी का चयन लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। एकल प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर, अन्यथा अनुपयुक्त न होने की दशा में, ऐसा एकल आवेदक अनुज्ञापन हेतु चयनित किया जाएगा।

(ख) सी0एल0–1सी अनुज्ञापनः–

उपरोक्तानुसार चयनित सी0एल0–1बी अनुज्ञापी को सुचारु आपूर्ति हेतु जोन के प्रत्येक जनपद में सी0एल0–1सी अनुज्ञापन अपरिहार्य रुप से लेना होगा, जिसकी लाइसेंस फीस रु0 1.00 लाख व प्रतिभूति रु0 10 हजार होगी। सी0एल0–1सी अनुज्ञापी प्रदेश की विभिन्न अनुज्ञाधारी देशी मदिरा निर्माता आसवनियों से सीधे मदिरा प्राप्त करेगा। प्रदेश की आसवनियों से मदिरा प्राप्ति की कठिनाई की स्थिति में यह अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 की विशेष अनुमति से राज्य के बाहर की आसवनियों से देशी मदिरा आयात कर सकेगा। प्रदेश में आयात की जाने वाली ऐसी मदिरा पर आयातकर्ता अनुज्ञाधारी द्वारा प्रतिफल फीस का अग्रिम भुगतान कर आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के कार्यालय में स्थित सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक इकाई से सुरक्षा होलोग्राम प्राप्त कर संबंधित आसवनी ले जाकर बोतलों पर चस्पा किया जाएगा। इस प्रकार सुरक्षा होलोग्राम युक्त मदिरा का आयात ही प्रदेश में नियमानुसार अनुमन्य होगा।

उपरोक्तानुसार विशिष्ट जोन/ विस्तारित मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) व अन्य जोनों में व्यवस्थित उक्त लाइसेंसों सी0एल0–1बी व सी0एल0–1सी की अवधि एक आबकारी वर्ष (2009–10) अथवा उसके भाग जिसके लिए लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, होगी, परन्तु यदि अनुज्ञापी चाहे, तो वह आगामी वर्ष 2010–11 या उसके भाग के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण या उसकी अवधि का विस्तारीकरण ऐसे निबंधन और शर्तो पर करा सकता है, जो राज्य सरकार द्वारा यथासमय विनिश्चित की जायेगी।

(ग) सी0एल0–2 अनुज्ञापन का समापनः–

उपरोक्त व्यवस्था के क्रम में देशी शराब की थोक आपूर्ति के लिए निर्धारित सी0एल0–2 अनुज्ञापनों की व्यवस्था अनुज्ञापन अवधि उपरान्त समाप्त हो जायेगी तथा आसवनी स्तर पर ली जाने वाली सी0एल0–2 अनुज्ञापन की अतिरिक्त लाइसेंस फीस रु0 1/– प्रति ब0ली0 भी समाप्त हो जायेगी।

3.9. देशी शराब के लेबुलों का अनुमोदनः–

देशी मदिरा की बोतलों के लेबुलों पर गतवर्ष की भाँति वर्ष 2009–10 में भी बैच नम्बर व निर्माण की तिथि एवं आबकारी आयुक्त द्वारा अन्य यथा निर्धारित लीजेण्ड पूर्ववत् अंकित करना अनिवार्य रखे जाने के साथ लेबुलों के अनुमोदन हेतु प्रति लेबुल वर्ष 2009–10 में लेबुल अनुमोदन फीस रु0 10000/– प्रति लेबुल देय होगी, तथा लेबुलों पर मदिरा के विक्रय के जोन का नाम भी अंकित कराया जाना अनिवार्य होगा।

3.10. देशी शराब के ब्रान्डों का रजिस्ट्रेशनः–

वर्ष 2009–10 हेतु देशी शराब के ब्रान्डों का रजिस्ट्रेशन शुल्क रू0 10,000/– प्रति ब्राण्ड निर्धारित किया गया है।

3.11. देशी शराब निर्यात पास फीसः–

देशी मदिरा की निर्यात पास फीस वर्ष 2009–10 हेतु रु0 10/– प्रति ए0एल0 यथावत् रहेगी।

3.12. देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की दैनिक लाइसेंस फीसः–

देशी शराब की फुटकर दुकानों की दैनिक बेसिक लाइसेन्स फीस एवं लाइसेन्स फीस (प्रतिफल फीस) दुकान की निर्धारित वार्षिक प्रतिफल फीस का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है । सामान्यतः आगामी वर्ष 2009–10 में भी इसी प्रकार दैनिक व्यवस्थापन सम्पन्न कराया जाएगा, परन्तु ऐसी दुकानें, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम में व्यवस्थित नहीं हो सकेगी, का व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद

वर्ष 2009–10 के लिये निर्धारित दैनिक बेसिक लाइसेन्स फीस एवं लाइसेन्स फीस (प्रतिफल फीस) के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, पर सम्पन्न कराया जाएगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

3.13 देशी शराब की आपूर्तिः–

वर्ष 2009–10 में देशी मदिरा की आपूर्ति सभी निर्धारित धारिताओं में बाजार की मांग के अनुसार कांच/पेट बोतलों में की जायेगी।

3.14 देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों पर मदिरा पान की सुविधाः–

देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों से परिसर में उपभोग व परिसर के बाहर ले जाने के लिए बिक्री की सुविधा अनुमन्य है, किन्तु इस सुविधा में स्पष्टता के अभाव में कई बार अनुज्ञापियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे राजस्व प्रभावित होता है। अतः देशी शराब की दुकान पर मदिरा पान की सुविधा को स्पष्ट करते हुए इस सुविधा में अनुज्ञापी द्वारा उपभोक्ताओं के बैठने की व्यवस्था, गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न खाद्य पदार्थो का पकाकर उपलब्ध कराया जाना अनुमन्य किया जाता है।

4– विदेशी मदिरा

4.1 विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस :–

वर्ष 2002–03 से उपभोग/विक्रय आधारित श्रेणियों की लाइसेंस फीस में वर्षानुवर्ष कभी समान कभी निकाय वार वृद्वियां होती रही है। वर्षवार वृद्वियों के कारण निर्धारित उपभोग/ विक्रय आधारित श्रेणियों की लाइसेंस फीस सम्प्रति विसंगति पूर्ण और कालातीत हो गयी है।

अतः विक्रय आधारित श्रेणियों को समाप्त कर विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा :–

(क) आयुक्तालय पर उपलब्ध अंतिम मास के विवरण पत्र के आधार पर प्रदेश के चलित विदेशी मदिरा के उपभोग के औसत से प्रदेश के वार्षिक अनुमानित उपभोग का आगणन किया जायेगा।

(ख) प्रदेश की विदेशी मदिरा की वार्षिक लाइसेंस फीस (वर्तमान में वर्ष 2008–09) को वार्षिक अनुमानित उपभोग से भाग देकर प्रति बोतल लाइसेंस फीस का अधिभार ज्ञात हो जायेगा, जिसे पूर्णांक में राउण्ड आफ किया जायेगा तथा इस अधिभार में रु0 1/– की वृद्वि करके आबकारी आयुक्त वर्ष 2009–10 के लिए लाइसेंस फीस निर्धारण हेतु प्रति बोतल अधिभार निर्धारित करेंगे।

(ग) विदेशी मदिरा की प्रत्येक दुकान का जनवरी–2009 तक चलित उपभोग के औसत के आधार पर वार्षिक अनुमानित उपभोग की गणना की जायेगी।

(घ) विदेशी मदिरा की दुकान के उपरोक्तानुसार आगणित वार्षिक अनुमानित उपभोग को आबकारी आयुक्त द्वारा वर्ष 2009–10 के लिए निर्धारित अधिभार से गुणा करके प्रत्येक दुकान की लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी, तथा उसका परीक्षण उप आबकारी आयुक्त, प्रभार से कराकर लाइसेंस प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(च) माह जनवरी–2009 तक उपलब्ध उपभोग के आंकड़ों के आधार पर रू0 23/– प्रति बोतल (750एम0एल0) का अधिभार निर्धारित किया गया है। उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर प्रत्येक दुकान की लाइसेंस फीस का आंगड़न किया जायेगा।

4.2. विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :–

(प) विदेशी शराब की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन, उपरोक्त प्रस्तर– 1व 2 के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

(पप) वाराणसी, लखनऊ (बरेली प्रभार को छोड़कर) व आगरा जोन की दुकानों का व्यवस्थापन आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा। साथ ही विशिष्ट जोन/विस्तारित मेरठ

जोन (बरेली प्रभार सहित) का व्यवस्थापन भी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही समपन्न कराया जायेगा।

(पपप) द्वितीय चरण में वाराणसी, लखनऊ (बरेली प्रभार को छोड़कर) व आगरा जोन की व्यवस्थापन को अवशेष रह गयी दुकानों का व्यवस्थापन आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2009–10 की निर्धारित लाइसेंस फीस पर ही किया जायेगा।

(पअ) तृतीय चरण में उपरोक्त व्यवस्थापन में अवशेष रह गयी दुकानों का व्यवस्थापन शासन द्वारा इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णयानुसार कराया जाएगा तथा सम्बन्धित अधिकारियों के उत्तरदाायित्व का परीक्षण जनपद की परिस्थितियों के क्रम में किया जायेगा।

4.3. विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों हेतु प्रोसेसिंग फीसः–

वर्ष 2009–10 के लिये सार्वजनिक लाटरी हेतु आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग फीस रु0 3000/– प्रति आवेदन पत्र होगी।

4.4. विदेशी मदिरा की दुकानों का सृजनः–

वर्ष 2009–10 में 15 प्रतिशत तक नई दुकानों का सृजन आबकारी मुख्यालय स्तर तथा 15 प्रतिशत से अधिक की मॉंग होने पर शासन की स्वीकृति से दुकानों का सृजन किया जायेगा।

विदेशी मदिरा की नवसृजित दुकानों की लाइसेंस फीस का आगणन निकायवार निर्धारित न्यूनतम् बोतलों के आधार पर किया जायेगा। इन दुकानों का व्यवस्थापन सार्वजनिक लाटरी से होगा :–

क्रम सं0	दुकान की प्रास्थिति	न्यूनतम बोतलों की संख्या, जिसके आधार पर अनुज्ञापन शुल्क आगणित किया जाना है। (750 एम0एल0)
1	नगर निगम	32000
2	नगर पालिका	14000
3	नगर पंचायत	7000
4	ग्रामीण	4000

अग्रेतर प्रतिबंध यह भी होगा कि नवसृजित दुकानों की प्रास्थिति का निर्धारण आबकारी आयुक्त के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

4.5. विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दैनिक लाइसेंस फीसः–

वर्तमान में विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेन्स फीस दुकान की निर्धारित वार्षिक लाइसेन्स फीस का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है । सामान्यतः आगामी वर्ष 2009–10 में भी इसी प्रकार दैनिक व्यवस्थापन सम्पन्न कराया जाएगा, परन्तु ऐसी दुकानें, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम में व्यवस्थित नहीं हो सकेंगी, का व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद वर्ष 2009–10 के लिये निर्धारित लाइसेन्स फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, उस पर सम्पन्न कराया जाएगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

4.6. विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीसः–

वर्ष 2008–09 में विदेशी मदिरा की एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर 12 श्रेणियों में प्रतिफल फीस ली जाती है। इन्हें पुनर्गठित करते हुए प्रतिफल फीस का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता हैः–

एक्स आसवनी मूल्य (750 एम.एल. प्रति बोतल) (रु0 में)		श्रेणी		वर्ष 2008–09 में प्रतिफल फीस		वर्ष 2009–10 हेतु प्रस्तावित प्रतिफल फीस		प्रति लीटर बृद्धि
				प्रति लीटर	प्रति बोतल	प्रति लीटर	प्रति बोतल	
1.	0 से 25/– तक	चीप (सस्ती)	GGG	157.00	117.75	170.00	127.50	13.00
2.	25/– से अधिक 30/– तक	मीडियम वीटा	FFB	170.00	127.50	180.00	135.00	10.00
3.	30/– से अधिक 40/– तक	मीडियम अल्फा	FFA	191.00	143.25	200.00	150.00	09.00
4.	40/– से अधिक 50/– तक	रेगुलर वीटा	EEB	201.00	150.75	210.00	157.50	09.00
5.	50/– से अधिक 60/– तक	रेगुलर अल्फा	EEA	221.00	165.75	230.00	172.50	09.00
6.	60/– से अधिक 80/– तक	सेमी प्रीमियम बीटा	DDB	--	---	260.00	195.00	ubZJs.kh
7.	80/– से अधिक 100/– तक	सेमी प्रीमियम अल्फा	DDA	297.00	222.75	300.00	225.00	03.00
8.	100/– से अधिक 130/– तक	प्रीमियम बीटा	CCB	339.00	254.25	340.00	255.00	01.00
9.	130/–से अधिक 170/– तक	प्रीमियम अल्फा	CCA	372.00	279.00	380.00	285.00	08.00
10.	170/–से अधिक 230/– तक	सुपर प्रीमियम बीटा	BBB	488.00	366.00	490.00	367.50	02.00
11.	230/–से अधिक 290/– तक	सुपर प्रीमियम अल्फा	BBA	493.00	369.75	500.00	375.00	07.00
12.	290/– से अधिक 500/– तक	स्काच बीटा	AAB	612.00	459.00	620.00	465.00	08.00
13.	500/– से अधिक	स्काच अल्फा	AAA	634.00	475.50	640.00	480.00	06.00

4.7 विदेशी मदिरा की एम0आर0पी0 :–

विदेशी मदिरा के निर्माता/ बाण्ड धारक इकाई द्वारा घोषित एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर प्रतिफल फीस को सम्मिलित करते हुए विदेशी मदिरा की एम0आर0पी0 गतवर्षो के भॉति वर्ष 2009–10 में निम्न फार्मूले के आधार पर आगणित/निर्धारित की जायेगी :–

एक्स आसवनी/एक्स बाण्ड/एक्स सी.एस.डी. मूल्य प्रति बोतल 750 एम. एल. (रु0 में) (ग)	सुरक्षा होलोग्राम की श्रेणी	प्रतिफल फीस प्रति लीटर (रु0 में)	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (750 मि0ली0) (रु0 में0) **(क)**	अधिकतम थोक विक्रय मूल्य	फुटकर बिक्रेता का मार्जिन	अधिकतम फुटकर मूल्य **(च)**
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0 से 25/– तक	**GGG**	170.00	127.50	**D+1.1 X**	**1.1 X**	**D+2.2 X**
25/– से अधिक 30/– तक	**FFB**	180.00	135.00	**D+1.1 X**	**1.1 X**	**D+2.2 X**
30/– से अधिक 40/– तक	**FFA**	200.00	150.00	**D+1.05 X**	**1.05 X**	**D+2.1 X**
40/– से अधिक 50/– तक	**EEB**	210.00	157.50	**D+1.05 X**	**0.95 X**	**D+2.0 X**
50/– से अधिक 60/– तक	**EEA**	230.00	172.50	**D+1.05 X**	**0.85 X**	**D+1.9 X**
60/– से अधिक 80/– तक	**DDB**	260.00	195.00	**D+1.05 X**	**0.75 X**	**D+1.8 X**
80/– से अधिक 100/– तक	**DDA**	300.00	225.00	**D+1.05 X**	**0.75 X**	**D+1.8 X**
100/– से अधिक 130/– तक	**CCB**	340.00	255.00	**D+1.05 X**	**0.65 X**	**D+1.7 X**
130/–से अधिक 170/– तक	**CCA**	380.00	285.00	**D+1.05 X**	**0.55 X**	**D+1.6 X**
170/–से अधिक 230/– तक	**BBB**	490.00	367.50	**D+1.05 X**	**0.35 X**	**D+1.4 X**
230/–से अधिक 290/– तक	**BBA**	500.00	375.00	**D+1.05 X**	**0.35 X**	**D+1.4 X**
290/– से अधिक 500/– तक	**AAB**	620.00	465.00	**D+1.05 X**	**0.25 X**	**D+1.3 X**
500/– से अधिक	**AAA**	640.00	480.00	**D+1.05 X**	**0.25 X**	**D+1.3 X**

उपरोक्त सूत्र से मूल्य निर्धारण हेतु वर्ष 2008–09 की भांति वर्ष 2009–10 में भी बोतल, लेबुल व पी.पी. कैप के मूल्यों का अधिभार बोतल के सापेक्ष छोटी धारिताओं में अधिक पड़ने के दृष्टिगत, 375 एम0एल0 की धारिता में रु0 3 तथा अन्य धारिताओं यथा 180 एम0एल0, 90 एम0एल0 व 60एम0एल0 के मूल्य निर्धारण में रु0 5 बोतल की एम.आर.पी. निर्धारण के लिए प्रस्तावित एक्स आसवनी मूल्य में बढ़ाकर किया जाएगा।

4.8 विदेशी शराब की थोक आपूर्तिः–

(क) थोक अनुज्ञापनों के अनुज्ञापन शुल्क को युक्ति–युक्त करते हुए वर्ष 2009–10 के लिए निम्न प्रकार अनुज्ञापन शुल्क व प्रतिभूति धनराशि निर्धारित की जाती हैः–

क्रम संख्या	**जनपद में वर्ष 2008–09 में फुटकर अनुज्ञापनों से विक्रय होने वाली अनुमानित बोतलों की संख्या**	**लाइसेन्स फीस (रूपये में)**	**प्रतिभूति धनराशि (रूपये में)**
1	7,00,000 बोतलों तक	5.00 लाख	लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत

2	7,00,000 से 15,00,000 बोतल तक	10.00 लाख	लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत
3	15,00,000 से 25,00,000 लाख बोतल तक	20.00 लाख	लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत
4	25,00,000 से 30,00,000 बोतल तक	30.00 लाख	लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत
5	30,00,000 बोतल से अधिक	40.00 लाख	लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत

स्पष्टीकरण :– उपरोक्तानुसार उपभोग का आगणन मुख्यालय में उपलब्ध अन्तिम मास तक के उपभोग विवरण के आधार पर किया जाएगा।

(ख) **एफ0एल0–2बी अनुज्ञापनों का अनुज्ञापन शुल्क**

एफ0एल0–2बी अनुज्ञापन का अनुज्ञापन शुल्क वर्ष 2009–10 हेतु रू0 5.00 लाख तथा प्रतिभूति धनराशि रू0 50.0 हजार निर्धारित की गयी है।

(ग) **एफ0एल0–2डी अनुज्ञापनों का अनुज्ञापन शुल्क**

वर्ष 2009–10 में उक्त अनुज्ञापन का अनुज्ञापन शुल्क रू0 50.0 हजार यथावत् रहेगा।

उपरोक्तानुसार विद्दिष्ट जोन/ विस्तारित मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) व अन्य जोनों में व्यवस्थित उक्त लाइसेंसों की अवधि एक आबकारी वर्ष (2009–10) अथवा उसके भाग जिसके लिए लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, होगी, परन्तु यदि अनुज्ञापी चाहे, तो वह आगामी वर्ष 2010–11 या उसके भाग के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण या उसकी अवधि का विस्तारीकरण ऐसे निबंधन और शर्तों पर करा सकता है, जो राज्य सरकार द्वारा यथासमय विनिश्चित की जायेगी।

4.9. सी0एस0डी0 को आपूर्ति की जाने वाली विदेशी मदिरा के प्रतिफल फीस :–

सी0एस0डी0 को आपूर्ति की जाने वाली विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस गतवर्ष की भांति सिविल में अनुमन्य प्रतिफल फीस की आधी प्रतिफल फीस आरोपण की व्यवस्था प्रभावी रहेगी।

4.10. भारत निर्मित विदेशी मदिरा का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः–

विदेशी मदिरा की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2009–10 हेतु रू0 35,000/– प्रति ब्राण्ड यथावत रहेगी।

4.11. अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः–

वर्ष 2009–10 हेतु विदेशों से आयातित मदिरा के ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस रु0 20,000/– प्रति ब्राण्ड निर्धारित की गयी है।

4.12. अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर एम0आर0पी0 अंकित किये जाने का प्राविधान :–

अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर वर्ष 2008–09 की भांति वर्ष 2009–10 में भी एम0आर0पी0 अंकित किए जाने की व्यवस्था यथावत रहेगी।

4.13. विदेशी मदिरा (एफ0एल0–2ए):–

विदेशी मदिरा के एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन (सी0एस0डी0) की लाइसेंस फीस वर्ष 2008–09 में रू0 2500/– निर्धारित है। यह वर्ष 2009–10 में यथावत् रहेगी।

4.14 एफ0एल0–1/एफ0एल0–1एः–

वर्ष 2009–10 हेतु एफ0एल0–1/एफ0एल0–1ए की लाइसेंस फीस रू0 3,50,000/– एवं प्रतिभूति धनराशि रु0 35000/– निर्धारित की गयी है।

4.15 बी0डब्लूएफ0एल0–2ए/2बी/2सी/2डी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीसः–

बी0डब्लू0 एफ0एल0–2ए/2बी/2सी/2डी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस वर्ष 2008–09 की भांति 2009–10 में निम्नानुसार यथावत रहेगी :–

अनुज्ञापन का प्रकार	लाइसेंस फीस (लाख रुपये में)	प्रतिभूति धनराशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
ठॅथ्स्.2।	5.00	3.00	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित विदेशी मदिरा की बिक्री हेतु।
ठॅथ्स्.2ठ	3.50	1.00	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित बीयर की बिक्री हेतु।
ठॅथ्स्.2ढ	0.50	0.25	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित वाइन की बिक्री हेतु।
ठॅथ्स्.2क	0.25	0.10	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित एल.ए.बी. की बिक्री हेतु।

4.16 विदेशी मदिरा के लेबुलों का अनुमोदन फीसः–

वर्ष 2009–10 में विदेशी मदिरा के लेबुलों की अनुमोदन फीस रु0 20000/– प्रति लेबुल निर्धारित की गयी है।

4.17 विदेशी मदिरा की आयात अनुज्ञा पत्र फीसः–

बोतलों में आयातित विदेशी मदिरा की आयात फीस वर्ष 2008–09 में 4/– रूपये प्रति लीटर तथा बल्क में आयात पर (मिलेट्री कैन्टीन या सी0एस0डी0 लाइसेंस धारी को छोड़कर) रु0 3/– प्रति बल्क लीटर निर्धारित है। यह वर्ष 2009–10 में यथावत रहेगी।

4.18 विदेशी मदिरा की निर्यात फीस (सिविल):–

विदेशी मदिरा की निर्यात फीस वर्ष 2008–09 की भांति वर्ष 2009–10 के लिए रू0 5/– प्रति बल्क ली0 तथा बोतलों में रु0 2.67/– ए0एल0 यथावत रहेगी।

4.19 विदेशी मदिरा के 90 एम0एल0 व 60 एम0एल0 की धारिता में आपूर्ति :–

वर्ष 2009–10 में सेमी प्रीमियम अल्फा व उससे ऊपर की श्रेणियों में ही 90 एम0एल0 की धारिता की बोतलों की बिक्री अनुमन्य होगी। साथ ही 90 एम0एल0 धारिता की बिक्री शीशे के साथ–साथ **"सिरोंग पैक"** में भी अनुमन्य की गयी है।

वर्ष 2008–09 की भांति वर्ष 2009–10 में भी सुपर प्रीमियम व स्काच श्रेणियों में 60 एम0एल0 धारिता की बोतलों की बिक्री अनुमन्य रहेगी।

4.20. बार लाइसेंस :–

वर्ष 2009–10 में सभी श्रेणी के बार अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस वर्ष 2008–09 के अनुसार ही देय होगी। बार अनुज्ञापनों में वर्तमान में अनुमन्य विदेशी मदिरा की 750 एम.एल. धारिता की बोतल के अतिरिक्त, ऐसे मादकों के छोटे पैक जो एक बार खुलने पर जल्द खराब हो जाते है, जैसे बीयर और वाइन के छोटे पैकों का विक्रय भी बार में बिक्रय हेतु अनुमन्य किया जाता हैं। इस बिन्दु का समावेश कर बार अनुज्ञापनों के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं :–

(1) भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा आयातित विदेशी मदिरा में 60 एम.एल. की धारिता की बोतलें भी होटल के कमरों में उपभोग हेतु मानक मदिरा की उपलब्धता की दृष्टि से अनुमन्य होगी।

(2) बीयर की सभी धारिताओं, केन पैक व ड्राफ्ट बीयर की बिक्री अनुमन्य होगी।

(3) वाइन की सभी धारिताओं में बिक्रय अनुमन्य होगा।

(4) स्टार होटलों के सभी कमरों में तथा नान स्टार होटलों के केवल ए.सी. कमरों में मिनी बार की व्यवस्था हेतु क्रमशः रु0 1.00 लाख व 50 हजार की अतिरिक्त वार्षिक लाइसेंस फीस लेकर मिनी बार की सुविधा अनुमन्य होगी।

(5) होटलों में मदिरा पीने के लिए अनुमन्य बार रुम एवं होटल कें कमरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों यथा कानफ्रेन्स रुम, वैंकेटहाल, स्वीमिंग पूल व अन्य किसी स्थल पर रु0 50 हजार प्रत्येक की अतिरिक्त वार्षिक फीस पर अधिकतम 5 अतिरिक्त स्थलों की सीमा के साथ मदिरा पान की सुविधा उपलब्ध कराया जाना अनुमन्य किया जाता है। स्टार होटलों के लिये यह फीस रू0 1.00 लाख प्रति अतिरिक्त स्थान वार्षिक होगी।

4.21. बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि :–

बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि प्रत्येक दिनों में 12 बजे दोपहर से रात्रि 12 बजे निर्धारित है । उक्त के अतिरिक्त नगर निगम वाले नगरों तथा गौतमबुद्वनगर में स्थित बारों को सम्प्रति **एक लाख रुपये** अतिरिक्त फीस लेकर 1.00 बजे रात्रि तक बार से विक्रय अनुमन्य है। वर्ष 2009–10 हेतु रात्रि 12.00 बजे से रात्रि 1.00 बजे तक विस्तारित बिक्री अवधि के लिए रु0 1.25 लाख वार्षिक की अतिरिक्त फीस देय होगी।

4.22 अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर परमिट फीस :–

वर्ष 2009–10 हेतु अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा की परमिट फीस निम्नानुसार होगी :–

एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य	परमिट फीस
रु0 0 से 500 तक	रु0 620 प्रति लीटर
रु0 500 से अधिक	रु0 640 प्रति लीटर

5– वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय

5.1. भारत में निर्मित वाइन पर आयात शुल्क :–

वर्ष 2008–09 में वाइन पर आयात शुल्क 3/– प्रति लीटर है। यह वर्ष 2009–10 में यथावत रहेगी।

5.2. भारत निर्मित वाइन पर प्रतिफल फीस :–

वर्ष 2008–09 में वाइन पर प्रतिफल फीस न्यूनतम् रू0 66.66 प्रतिलीटर या एम.आर.पी. का 25 प्रतिशत जो अधिक हो निर्धारित है। यह वर्ष 2009–10 में यथावत रहेगी।

5.3. अन्य देशों से आयातित वाइन पर परमिट फीस :–

वर्ष 2008–09 में अन्य देशों से आयातित वाइन पर परमिट फीस 750 मिली0 की प्रति बोतल पर रु0 66.66 या बोतल के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो, निर्धारित है। आयातित वाइन का रु0 699 एम.आर.पी. से कम का कोई ब्राण्ड पंजीकृत नहीं है अर्थात आयातित वाइन पर रु0 174.75 से कम प्रतिफल फीस नहीं ली जा रही हैं, किन्तु भारतीय वाइन में 66.66 प्रति लीटर तथा आयातित वाइन में 66.66 प्रति बोतल का उल्लेख विसंगति पूर्ण है। अतः आयातित वाइन में भी रु0 66.66 प्रति लीटर या एम.आर.पी. का 25 प्रतिशत जो अधिक हो वर्ष 2009–10 में लिया जाएगा।

5.4. अन्य देशों से आयातित वाइन पर एम.आर.पी. अंकित किया जाना :–

अन्य देशों से आयातित वाइन पर एम.आर.पी. अंकित किये जाने का प्राविधान वर्ष 2008–09 की भांति वर्ष 2009–10 में भी यथावत रहेगा।

5.5. अन्य देशों से आयातित वाइन का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः–

वर्ष 2009–10 हेतु आयातित वाइन पर ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस रु0 20,000/– प्रति ब्राण्ड निर्धारित की गयी हैं।

5.6. भारतीय वाइन का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदनः–

भारतीय वाइन की ब्रान्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2008–09 में रू0 5000/– एवं लेबुल अनुमोदन फीस भी रू0 5000/– निर्धारित है। यह वर्ष 2009–10 में भी यथावत रहेगी।

5.7. वाइन की बिक्री :–

वर्ष 2008–09 की ही भॉति वर्ष 2009–10 में भी वाइन की बिक्री, विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों से किया जाना अनुमन्य रहेगी।

5.8. कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री :–

(क) वर्ष 2009–10 में एल0ए0बी0 के सेल प्वाइंट उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों से बिना लाइसेंस और लाइसेंस फीस के एल0ए0बी0 की बिकी अनुमन्य होगी।

(ख) वर्ष 2009–10 में एफ0एल0–9 अनुज्ञापनों के माध्यम से बीयर की भांति एल.ए.बी. की बिक्री अनुमन्य होगी।

5.9. कम तीव्रता के मादक पेय का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदनः–

कम तीव्रता के मादक पेय की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन व लेबुल अनुमोदन फीस वर्ष 2008–09 में क्रमशः रू0 3000/– व रू0 5000/– निर्धारित है। यह वर्ष 2009–10 में यथावत रहेगी।

5.10. कम तीव्रता के मादक पेय , ऐल, पोर्ट, साइडर व अन्य फर्मेन्टेड लिकर पर प्रतिफल फीस :–

उपरोक्त मादकों पर गतवर्षो में बीयर की भांति ही प्रतिफल फीस ली जाती रही है। यह व्यवस्था वर्ष 2009–10 में भी यथावत रहेगी।

6– बीयर

6.1 बीयर की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीसः–

विदेशी मदिरा की भांति ही बीयर में भी बिक्री के आधारित श्रेणी और लाइसेंस फीस में कोई साम्य नहीं रह गया है। अतः विक्रय आधारित श्रेणियों को समाप्त कर निम्नानुसार अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण किया जायेगा :–

(क) आयुक्तालय पर उपलब्ध अंतिम मास के विवरण पत्र के आधार पर प्रदेश के बीयर के चलित उपभोग के औसत से प्रदेश के वार्षिक अनुमानित उपभोग का आगणन किया जायेगा।

(ख) प्रदेश की बीयर की वार्षिक लाइसेंस फीस (वर्तमान में वर्ष 2008–09) को वार्षिक अनुमानित उपभोग से भाग देकर प्रति बोतल लाइसेंस फीस का अधिभार ज्ञात हो जायेगा, जिसे अगले पूर्णांक में राउण्ड आफ कर दिया जायेगा। वर्ष 2008–09 में बीयर के उपभोग में वृद्वि 10 प्रतिशत से नीचे चल रही है। अतः लाइसेंस फीस में वृद्वि किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः इसी अधिभार वर्ष 2009–10 के लिए बीयर की लाइसेंस फीस निर्धारण हेतु प्रति बोतल अधिभार निर्धारित माना जाएगा।

(ग) बीयर की प्रत्येक दुकान का जनवरी–2009 तक चलित उपभोग के औसत के आधार पर वार्षिक अनुमानित उपभोग की गणना की जायेगी।

(घ) बीयर की दुकान के उपरोक्तानुसार आगणित वार्षिक अनुमानित उपभोग को वर्ष 2009–10 के लिए निर्धारित अधिभार से गुणा करके प्रत्येक दुकान की लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी, तथा उसका परीक्षण उप आबकारी आयुक्त, प्रभार से कराकर लाइसेंस प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(च) वर्ष 2009–10 के लिए बीयर की दुकानों की लाइसेंस फीस की गणना हेतु रू0 4/– प्रति बोतल (650 एम0एल0) अधिभार निर्धारित किया जाता है।

6.2. बीयर की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :–

(प) बीयर की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन, उपरोक्त प्रस्तर–1 व 2 के अनुसार किया जाएगा।

(पप) वाराणसी, लखनऊ (बरेली प्रभार को छोड़कर) व आगरा जोन की दुकानों का व्यवस्थापन आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा। साथ ही मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) का व्यवस्थापन भी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही समपन्न कराया जायेगा।

(पपप) द्वितीय चरण में वाराणसी, लखनऊ (बरेली प्रभार को छोड़कर) व आगरा जोन की व्यवस्थापन से अवशेष रह गयी दुकानों का व्यवस्थापन आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2009–10 की निर्धारित लाइसेंस फीस पर ही किया जायेगा।

(पअ) तृतीय चरण उपरोक्त व्यवस्थापन में अवशेष रह गयी दुकानों का व्यवस्थापन शासन द्वारा इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णयानुसार कराया जाएगा तथा सम्बन्धित अधिकारियों के उत्तरदायित्व का परीक्षण जनपद की परिस्थितियों के क्रम में किया जायेगा।

6.3. बीयर की फुटकर दुकानों हेतु प्रोसेसिंग फीसः–

वर्ष 2009–10 के लिये सार्वजनिक लाटरी हेतु प्रार्थना पत्र पर प्रोसेसिंग फीस रु0 3000/– प्रति आवेदन पत्र निर्धारित की गयी है।

6.4. बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का सृजनः–

वर्ष 2009–10 में शासनादेश के अनुसार 25 प्रतिशत तक नई दुकानों का सृजन आबकारी मुख्यालय से करने का अधिकार है। आबकारी आयुक्त, को प्रदत्त है। वर्ष 2009–10 में यथावत रहेगा।

वर्ष 2009–10 के लिए नवसृजित बीयर की दुकानों की लाइसेंस फीस का निर्धारण निम्नानुसार निर्धारित न्यूनतम बोतलों की संख्या के आधार पर आगणित करके नियमानुसार समाचार पत्रें में प्रकाशित कराकर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कराया जाएगा :–

क्रम सं0	दुकान की प्रास्थिति	न्यूनतम बोतलों की संख्या, जिसके आधार पर अनुज्ञापन शुल्क आगणित किया जाना है।(650 एम0एल0)
1	नगर निगम	117000
2	नगर पालिका	62800
3	नगर पंचायत	31000
4	ग्रामीण	20000

अग्रेतर प्रतिबंध यह भी होगा कि नवसृजित दुकानों की प्रास्थिति का निर्धारण इस कार्यालय द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अन्तर्गत ही रखा जाएगा।

6.5 बीयर की प्रतिफल फीसः—

बीयर की प्रतिफल फीस वर्ष 2009—10 के लिए निम्नानुसार यथावत रहेगी :—

कमांक	बीयर का प्रकार	प्रतिफल फीस (प्रति बोतल)
1	0 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक तीव्रता की माइल्ड बीयर	18.50/— प्रति बोतल(650 एम0एल0) या 28.46 प्रति लीटर
2	5 प्रतिशत से अधिक व 8 प्रतिशत तक तीव्रता की स्ट्रांग बीयर	32.00/— प्रति बोतल(650 एम0एल0) या 49.23 प्रति लीटर

6.6. बीयर का थोक लाइसेंस :—

बीयर की थोक आपूर्ति की व्यवस्था प्रस्तर—4.8 के अनुसार रखी जाएगी।

6.7 अन्य देशों से आयातित बीयर का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन :—

वर्ष 2009—10 में ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2008—09 की भांति रू0 10,000/— प्रति ब्राण्ड यथावत रहेगी।

6.8. अन्य देशों से आयातित बीयर की परमिट फीसः—

वर्ष 2008—09 में अन्य देशों से आयातित बीयर की परमिट फीस की दरें निम्नानुसार हैः—

(क) 5 प्रतिशत वी/वी तक रु0 20/— (650 एम0एल0 प्रति बोतल)

(ख) 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक एवं 8 प्रतिशत वी/वी तक रु0 35/— (650 एम0एल0 प्रति बोतल)

उपरोक्तानुसार आयात परमिट फीस वर्ष वर्ष 2009—10 में यथावत रहेगी।

6.9 भारत निर्मित बीयर का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन :—

वर्ष 2009—10 में बीयर का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2008—09 की भांति रू0 12,000/— प्रति ब्राण्ड यथावत रहेगी।

6.10 बीयर की एम0आर0पी0 :—

बीयर का निर्माता/बाण्ड धारक इकाई बीयर की एम0आर0पी0 स्वतः घोषित करती है, और इस घोषित एम.आर.पी. को ही अनुमोदित किया जाता है। व्यापारिक प्रतिर्स्पधा के हित में यह प्रक्रिया वर्ष 2009—10 में भी वर्ष 2008—09 की भॉति यथावत रहेगी।

6.11 बीयर व एल0ए0बी0 का निर्यात शुल्कः—

वर्ष 2008—09 में बीयर का निर्यात शुल्क 1/— प्रति ब0ली0 व कम तीव्रता के मादक पेय का निर्यात शुल्क 1/— प्रति ब0ली0, निर्धारित है । यह वर्ष 2009—10 में यथावत् रहेगा।

6.12 बीयर, पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्कः—

वर्ष 2008–09 में बीयर, पोर्टर, साइडर, एल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्क रू0 2/– प्रति लीटर है । वर्तमान में ड्राफ्ट बीयर का आयात प्रदेश में नहीं हो रहा है। कतिपय राज्यों में फ्लैश पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया से 30 दिन "शेल्फ लाइफ" वाली ड्राफ्ट बीयर भी उपलब्ध है, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में उपलब्ध नहीं है। बीयर कम हानिकारक पेय माना जाता है। इस कम हानिकारक फ्लैश पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया से तैयार की गयी ड्राफ्ट बीयर के आयात को प्रोत्साहन के दृष्टिकोण से इस पर आयात शुल्क रू0 1/– प्रति लीटर लिया जाएगा। अतः वर्ष 2009–10 में उपरोक्तानुसार वर्णित ड्राफ्ट बीयर को छोड़कर अन्य बीयर, पोर्टर, साइडर, एल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्क रू0 2/– प्रति लीटर, वर्ष 2008–09 की भॉति यथावत रहेगा। किन्तु ड्राफ्ट बीयर के आयात पर आयात शुल्क रू0 1/– प्रति लीटर लिया जायेगा।

6.13. बीयर के लेबुलों का अनुमोदन :–

वर्ष 2009–10 में बीयर के लेबुलों की अनुमोदन फीस वर्ष 2008–09 की भॉति रू0 5000/– प्रति लेबुल यथावत रहेगी।

6.14. बीयर की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेंस फीसः–

बीयर की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेन्स फीस दुकान की निर्धारित वार्षिक लाइसेन्स फीस का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है । सामान्यतः आगामी वर्ष 2009–10 में भी इसी प्रकार दैनिक व्यवस्थापन सम्पन्न कराया जाएगा। परन्तु ऐसी दुकानें, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम में व्यवस्थित नहीं हो सकेंगी, का व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद वर्ष 2009–10 के लिये निर्धारित लाइसेन्स फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, उस पर सम्पन्न कराया जाएगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

7– माडल शाप

वर्ष 2009–10 के लिए माडल शाप की लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की गयी हैः–

निकाय	लाइसेंस फीस (रू0 में)	प्रतिभूति धनराशि (रू0 में)
1. महानगरों एवं नोएडा के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी को छोड़कर)	22 लाख रूपये वर्ष या वर्ष के भाग के लिये	1.00 लाख
2. अन्य नगरों के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी सहित)	8 लाख रूपये वर्ष या वर्ष के भाग के लिये या ऐसे नगर की विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो अधिक हो, परन्तु यह फीस 22 लाख रूपये से अधिक नहीं होगी ।	1.00 लाख

माडल शाप में मदिरा पान की सुविधा के लिये वर्ष 2009–10 में भी रू0 50,000/– अतिरिक्त लाइसेंस फीस ली जाएगी। माडल शाप के परिसर में उपभोग व परिसर के बाहर ले जाने के लिए बिक्री की सुविधा अनुमन्य है, किन्तु इस सुविधा में स्पष्टता के अभाव होने के कारण माडल शाप पर मदिरा पान की सुविधा को स्पष्ट करते हुए इस सुविधा में अनुज्ञापी द्वारा उपभोक्ताओं के बैठने की

व्यवस्था, गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न खाद्य पदार्थो का पका कर उपलब्ध कराया जाना अनुमन्य किया जाता है।

7.1. माडल शाप्स का व्यवस्थापनः–

वर्तमान में माडल शाप्स का व्यवस्थापन उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा की माडल शाप के लिए फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली–2003 के अन्तर्गत किया जाता है। संदर्भगत नियमावली के नियम–4 व 9 के अनुसार स्थल के प्रस्ताव के साथ आवेदन पत्र मांग कर, प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर तीन दिन में लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापी चयनित करने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के स्थान पर माडल शाप के व्यवस्थापन के लिए जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी स्तर से क्षेत्र चिन्हित कर विज्ञापनोंपरान्त आवेदन मांग कर अर्ह अनुज्ञापियों के मध्य स्थान विशेष के लिए अनुज्ञापी का चयन लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए जिलास्तरीय समिति निम्नानुसार रहेगी :–

1–	जिले का कलेक्टर	अध्यक्ष
2–	जिले का वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3–	आबकारी आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी	सदस्य
4–	जिले का जिला आबकारी अधिकारी	सदस्य/सचिव

वर्ष 2008–09 में संचालित हो रही सभी माडल शाप्स भी वर्ष 2009–10 के लिए सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से विज्ञापन देकर व्यवस्थित की जायेगीं। माडल शाप्स एक विशेष प्रकार की दुकानें है, जिसके लिए 600 स्क्वायर फिट का परिसर, पार्किंग, टायलेट व एयरकंडीशनिंग आदि आवश्यक औपचारिकताएं है। अतः जिलाधिकारी वर्ष के प्रारम्भ में ही जनपद की आवश्यकता के अनुसार माडल शाप्स के क्षेत्र निर्धारित कर आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से विज्ञापन कराकर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। माडल शाप्स का भी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा और बीयर की दुकानों के साथ ही व्यवस्थापन कराया जाएगा।

परन्तु विशिष्ट जोन मेरठ जोन में समस्त माडल शाप्स प्रस्तर–1;पद्ध के अनुसार चयनित उत्तर प्रदेश राज्य की शीर्ष सहकारी संस्था/निगम द्वारा संचालित की जाएगी। उपरोक्तानुसार विघ्टित जोन/ विस्तारित मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) व अन्य जोनों में व्यवस्थित उक्त माडल शाप्स के लाइसेंसों की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके भाग जिसके लिए लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, होगी, परन्तु यदि अनुज्ञापी चाहे, तो वह आगामी वर्ष 2010–11 या उसके भाग के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण या उसकी अवधि का विस्तारीकरण ऐसे निबंधन और शर्तो पर करा सकता है, जो यथासमय विनिश्चित की जाये।

8– भांग

8.1. भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापनः–

वर्ष 2009–10 में भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2008–09 की भॉति उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 के प्राविधानानुसार किया जायेगा ।

भांग के लिये निर्धारित एम.जी.क्यू. पर रू0 20/– प्रति किलोग्राम की दर से बेसिक लाइसेंस फीस देय होगी । एम.जी.क्यू. से अतिरिक्त भांग की निकासी उठाये जाने पर रू0 20/– प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिफल फीस देय होगी ।

8.2 भांग के निर्यात पर निर्यात फीसः–

वर्ष 2008–09 की भांति वर्ष 2009–10 में भी भांग के निर्यात पर रु0 4/– प्रति किलो ग्राम की दर से निर्यात फीस देय होगी।

9 अन्य

9.1 सी0एल0–2 के अवशेष स्टाक का निस्तारणः–

वर्ष 2008–09 में संचालित सी0एल0–2 थोक अनुज्ञापन दिनांक 31–03–09 को समाप्त हो जायेंगे। इन अनुज्ञापनों पर 31–03–09 की समाप्ति पर अवशेष स्टाक रहना संभावित है। इस अवशेष स्टाक का वर्ष 2009–10 में अनुज्ञापन समाप्त हो जाने के कारण विक्रय नहीं हो सकेगा। अनुज्ञापी 31–03–09 की समाप्ति पर अवशेष स्टाक की ब्राण्ड वार घोषणा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष दिनांक 01–04–09 को दोपहर 12.00 बजे तक करेंगे। इस अवशेष स्टाक का निस्तारण आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के आदेशानुसार किया जाएगा।

9.2 आवेदक का पता व फोटो पहचान प्रमाण पत्र की अनिवार्यताः–

आवेदक आवेदन पत्र के साथ अपने आवासीय पते के प्रमाण तथा फोटो पहचान के रुप में निम्न अभिलेखों में से किसी एक अभिलेख की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करेगाः–
(1)पासपोर्ट (2) ड्राइविंग लाइसेंस (3) आयकर पहचान पत्र (4) बैंक/किसान/डाकघर पासबुक (5) सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि (6) सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी अ0जा0/अ0ज0जा0/अति पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (7)पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशनबुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा आश्रित प्रमाण पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश। (8) रेलवे पहचान पत्र (9) स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र (10) शस्त्र लाइसेंस (11) शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र। (12) मतदाता पहचान पत्र

9.3 पैन नं0 का प्रस्तुतीकरणः–

आवेदक आवेदन पत्र के साथ दिये जाने वाले शपथ पत्र में यह अभिकथन भी करेगा कि वह चयनित हो जाने पर 03 माह के अंदर आयकर विभाग का पैन कार्ड नं0 अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करेगा।

9.4 उ0प्र0 वाटलिंग रुल्स 1969 में प्रदेश की आसवनियों को भी एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन प्राप्त करने के लिए अर्ह किया जाना :–

उ0प्र0 वाटलिंग रुल्स 1969 के नियम–2 में प्रदेश के बाहर और देश के बाहर की आसवनियों को प्रदेश की आसवनियों के द्वारा स्थापित एफ0एल0–3 अनुज्ञापनों के परिसर में भराई करने की सुविधा एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत अनुमन्य है। वर्ष 2009–10 से प्रदेश की आसवनियों को भी यह सुविधा अनुमन्य की जाती है।

9.5 देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप की फुटकर बिक्री की दुकानों की बेसिक लाइसेन्स फीस, लाइसेन्स फीस व प्रतिभूति धनराशिः–

देशी शराब के अनुज्ञापनों की बेसिक लाइसेन्स फीस व विदेशी मदिरा व बीयर व माडल शाप के अनुज्ञापनो की लाइसेन्स फीस, चयन की सूचना के तीन कार्यदिवस के अन्दर तथा आधी प्रतिभूति धनराशि चयन की सूचना से 10 कार्यदिवस में व शेष आधी प्रतिभूति धनराशि 20 दिवस में जमा करने की व्यवस्था है। वर्ष 2009–10 हेतु आगामी आबकारी वर्ष प्रारम्भ होने के पूर्व **10 मार्च तक व्यवस्थापित** दुकानों की आधी बेसिक लाइसेन्स फीस, लाइसेन्स फीस व प्रतिभूति धनराशि 15 मार्च तक तथा अवशेष आधी बेसिक लाइसेन्स फीस, लाइसेन्स फीस तथा प्रतिभूति धनराशि को 25 मार्च तक जमा करने की सुविधा अनुमन्य की जाती है।

10 मार्च के बाद व्यवस्थापित देशी शराब के अनुज्ञापनों की बेसिक लाइसेन्स फीस तथा प्रतिभूति धनराशि व विदेशी मदिरा व बीयर तथा माडल शाप के अनुज्ञापनो की लाइसेन्स फीस व प्रतिभूति धनराशि जमा करने की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी।

9.6 पेय मदिरा निर्माता पी0डी0–2 अनुज्ञापन धारक आसवनियां देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापियों को मांग के अनुसार युक्तियुक्त समयान्तर्गत, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाएगा, देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु बाध्य होंगी।

9.7 देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानें तथा माडल शाप्स के खुलने का समयः–

वर्तमान में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानें तथा माडल शाप्स के खुलने का समय प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक है। इसे प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक अनुमन्य किया जाता है।

9.8 वर्ष 2008–09 का अवशेष/अविक्रीत स्टाक :–

वर्ष 2008–09 की समाप्ति पर देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, लो–अल्कोहलिक ब्रिवरेज तथा अन्य देशों से आयातित मदिरा के अविक्रीत स्टाक की घोषणा नियमानुसार की जाएगी तथा इसके निस्तारण के सम्बन्ध में आदेश पृथक से यथा समय प्रसारित किए जाएगें। किन्तु यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष 2009–10 में वर्ष 2008–09 की अवशेष देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र की बिक्री न की जाय।

9.9 ताडी की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन एवं अभिकर :–

वर्ष 2009–10 में ताड़ी के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन की, ट्री टैक्स/सरचार्ज प्रणाली व्यवस्था वर्ष 2008–09 की भॉति यथावत रहेगी।

9.10 देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की दुकानों के व्यवस्थापन एवं आपूर्ति आदि के सम्बन्ध में उपरोक्तनुसार दिए गए निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्राविधान यथावत रहेगें।

9.11 प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। वर्ष 2009–10 हेतु लाइसेंस फीस एवं सिक्योरिटी आदि के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि समय से जमा करायी जाय, तथा उसका सत्यापन जनपद के कोषागार से सामयिक रूप से कराया जाय।

9.12 मदिरा की तस्करी एवं अवैध मद्य–निष्कर्षण को रोकने हेतु आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2009–10 में विशेष प्रयास किया जाए तथा इस हेतु स्थापित 29 चेक पोस्टों एवं 10 सचल दस्तों तथा जनपदों में तैनात प्रवर्तन स्टाफ को विशेष रूप से सक्रिय किया जाए। पकड़े गए अभियोगों की मासिक समीक्षा कर उसकी रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाए।

10– मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका सं0 1374(टैक्स)/2006 राम नाथ मिश्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप्स के सार्वजनिक लाटरी से व्यवस्थापन के लिए प्राप्त धरोहर धनराशि के ड्राफ्ट/पे आर्डरों की वापसी हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0 36190–36260/दस–लाइसेंस–367/खण्ड–2/ आबकारी नीति/2008–09 दिनांक 15–12–07 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। साथ ही बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डरों की वापसी हेतु प्रारुप पत्र निर्धारित करके प्रेषित किया गया हैं। उक्त पत्र द्वारा जारी प्रारुप पत्र के अनुसार ही बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डरों की वापसी सुनिश्चित करायी जाय।

11– देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्रें का विक्रय एवं सार्वजनिक लाटरी निकाले जाने की प्रक्रियाः–

वर्ष 2009–10 हेतु वाराणसी, आगरा एवं लखनऊ जोन (बरेली प्रभार को छोड़कर) वर्ष 2008–09 में व्यवस्थित तथा वर्ष 2009–10 हेतु नवसृजित दुकानों के लिए देशी शराब, विदेशी मदिरा (बीयर व वाइन को छोड़कर) तथा बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स का व्यवस्थापन आवेदन पत्र प्राप्त कर सार्वजनिक लाटरी प्रणाली द्वारा किया जायेगा। किसी दुकान के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में दुकानों के व्यवस्थापन हेतु सार्वजनिक लाटरी प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देश निम्न प्रकार हैः–

11.1 दुकानों के व्यवस्थापन हेतु देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स के आवेदकों के लिए आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित एवं निर्गत आवेदन पत्र आवेदकों को जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय उप आबकारी आयुक्त, प्रभार कार्यालय, संयुक्त आबकारी आयुक्त जोन कार्यालय एवं आबकारी आयुक्त, कार्यालय से रु0 3000/– (माडल शाप के लिए रु0 5000/–) के मूल्य एवं प्रोसेसिंग फीस के रूप में नकद धनराशि के भुगतान पर उपलब्ध हो सकेंगे। **वर्ष 2009–10 में आवदेन पत्र आबकारी आयुक्त कार्यालय में भी जमा हो सकेंगे। आबकारी आयुक्त, कार्यालय में ऐसे आवेदन पत्रें को जमा होने की अन्तिम तिथि से एक दिन पूर्व तक ही जमा किया जा सकेगा। ऐसे आवेदन पत्रें को सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध करा दिया जायेगा।** विभाग द्वारा नियमानुसार निर्गत आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन पत्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति का नाम व पता आवेदन पत्र पर तथा आवेदन पत्र के काउन्टर फाइल पर अंकित किया जायेगा, जिससे आवेदन पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही उस आवेदन पत्र का उपयोग कर सके। आवेदन पत्र के प्रतिपर्ण एवं आवेदन पत्र के मध्य परफोरेशन बिन्दुओं पर दाहिनी ओर बने ब्लाक में जिला आबकारी अधिकारी अथवा आवेदन पत्र निर्गत करने हेतु अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस प्रकार मुहर लगाकर हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिससे मुहर व हस्ताक्षर प्रतिपर्ण एवं आवेदन पत्र दोनों पर आंशिक रूप से आ जाये।

11.2 आवेदन पत्र निर्गत करने के साथ ही निर्गतकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदक को देशी शराब की दुकानों हेतु दुकानवार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र, बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि का दुकानवार पूर्ण विवरण भी उपलब्ध कराया जाये। विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों तथा माडल शाप्स हेतु लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि का दुकानवार पूर्ण विवरण भी उपलब्ध कराया जाये। उपरोक्तानुसार सूचनाओं सहित जनपद की समस्त दुकानों के विवरण के पैम्फलेट/हैण्डबिल व शपथ–पत्र के प्रारूप पहले से ही छपवाकर/स्टेसिंल निकालकर रख लिये जायें तथा आवेदन पत्रें की बिक्री के समय ही आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायें।

11.3 आवेदन पत्र जमा किये जाते समय जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रें को प्राप्त करने के लिए अधिकृत कर्मचारी द्वारा पहले आवेदन पत्रें की जॉच कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे गये हैं एवं उसके साथ आवश्यक संलग्नक (ड्राफ्ट शपथ–पत्र, पहचान हेतु प्रमाण आदि)लगे हुए हैं। अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र की जॉच के पश्चात् सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा इसका अंकन क्रमवार आवेदन पत्र प्राप्ति रजिस्टर में किया जायेगा और प्राप्ति रजिस्टर का क्रमांक आवेदन पत्र एवं प्राप्ति रसीद पर अंकित किया जायेगा। तत्पश्चात् आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद पर दिनांक सहित हस्ताक्षर करके कार्यालय की मुहर लगायी जायेगी एवं उसे आवेदन पत्र से फाड़कर आवेदन पत्र जमाकर्ता को रसीद स्वरूप दे दिया जायेगा। यह प्राप्ति रसीद ही लाटरी के आयोजन स्थल पर प्रवेश हेतु गेट पास के रूप में प्रयुक्त की जा सकेगी व आवेदकों द्वारा यह प्राप्ति रसीद दिखाकर लाटरी आयोजन स्थल में प्रवेश किया जा सकेगा। निर्धारित समयावधि पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रें को लाटरी में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

11.4 आवेदनकर्ता किसी दुकान के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र या पते के सत्यापन हेतु (1)पासपोर्ट (2) ड्राइविंग लाइसेंस (3) आयकर पहचान पत्र (4) बैंक/किसान/डाकघर पासबुक (5) सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि (6) सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी अ0जा0/अ0ज0जा0/अति पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (7)पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशनबुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा आश्रित प्रमाण पत्र/वृद्वावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश। (8) रेलवे पहचान पत्र (9) स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र (10) शस्त्र लाइसेंस (11) शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र (12) मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करेगा।

11.5 जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को दुकानवार छॉटकर उनकी अलग–अलग सूची तैयार की जायेगी व उन्हें दुकानवार तैयार की गयी पत्रवली में अनुरक्षित किया जायेगा। उचित होगा कि प्रत्येक दुकान के लिए अलग–अलग फाइल कवर बना लिये जायें व उस दुकान हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्रें को भी उन्हीं फाइलों में संरक्षित किया जाये।

11.6 जिन दुकानों हेतु केवल एक आवेदन पत्र ही प्राप्त होता है, उन्हें आवेदक के पक्ष में व्यवस्थित किये जाने हेतु जिला लाइसेंसिंग समिति द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

11.7 जिन दुकानों हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हों उनके लिए सार्वजनिक लाटरी निर्धारित तिथि को निकाली जायेगी। लाटरी हेतु जिस विशिष्ट दुकान को लिया जाये उसके लिए प्राप्त सभी आवेदन पत्रें को सूची के अनुसार अंकित क्रमांक, नाम व अन्य विवरण सहित लाटरी हाल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाये और उनका संक्षिप्त विवरण यथा दुकान का नाम, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस व प्राप्त आवेदन पत्रें की कुल संख्या आदि सार्वजनिक रूप से माइक पर उद्घोषित की जाय तथा आवेदकों को सभा कक्ष में आगे आने का अवसर दिया जाये ताकि वे लाटरी सम्बन्धी समस्त कार्यवाही को भली–भॉति देख सकें व लाटरी की कार्यवाही में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। लाटरी निकाले जाने सम्बन्धी कार्यवाही सभागार/पण्डाल में कुछ ऊॅचाई पर मंच बनाकर इस प्रकार सम्पादित की जाये कि सभागार/पण्डाल में उपस्थित सभी व्यक्ति, लाटरी की कार्यवाही को भली भॉति देख सकें।

11.8 सार्वजनिक लाटरी निकाले जाने की कार्यवाही कलेक्ट्रेट सभागार अथवा समुचित क्षमता के किसी अन्य सभागार में की जा सकती है। यदि उपयुक्त क्षमता का कोई सभागार अथवा उचित स्थान उपलब्ध न हो तो विशिष्ट परिस्थितियों में पण्डाल लगाकर यह कार्य किया जाये।

11.9 सार्वजनिक लाटरी से पूर्व दुकानों के व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमों व निर्देशों को पढ़कर सार्वजनिक रूप से सुनाया जाये व सभी आवेदकों को मदिरा की दुकानों के संचालन सम्बन्धी महत्वपूर्ण बिन्दुओं से अवगत करा दिया जाये।

11.10 मदिरा की दुकानों के व्यवस्थान हेतु सार्वजनिक लाटरी सम्बन्धी समस्त कार्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित लाइसेंसिंग समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। सार्वजनिक लाटरी की समस्त कार्यवाही इस समिति के सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति व देख–रेख में की जायेगी। जिलाधिकारी इस कार्य में समिति की सहायतार्थ अपने विवेकानुसार उप जिलाधिकारियों अथवा अन्य राजपत्रि अधिकारियों को लगा सकते हैं।

11.11 सार्वजनिक लाटरी के स्थल पर समस्त आवेदकों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाये व इस बात का पूर्ण प्रयास किये जाये कि लाटरी निकाले जाने सम्बन्धी कार्यवाही उस दुकान हेतु आवेदन करने वाले समस्त आवेदकों की उपस्थिति में ही सम्पन्न हो, ताकि आवेदकों व जन सामान्य का लाटरी प्रकिया की निष्पक्षता व पारदर्शिता के सम्बन्ध में पूर्ण विश्वास रहे व किसी प्रकार की अनियमितता न हो सके।

11.12 जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का लाटरी की पर्ची वाला भाग, जिस पर आवेदक का नाम व पता अंकित होगा एवं दुकान का नाम भी अंकित होगा, को लाटरी निकालने में प्रयोग किया जायेगा। इस प्रकार लाटरी के लिए प्रयोग में लायी जाने वाली पर्चियॉ उतनी ही होंगी जितने प्रार्थना पत्र उस दुकान के लिए प्राप्त हुए हैं।

11.13 जिस दुकान हेतु लाटरी निकाली जानी है, उसके लिये प्राप्त सभी आवेदन पत्रें की तैयार की गयी सूची से पंजीयन संख्या के अनुसार दुकान के लिए प्राप्त कुल आवेदन–पत्रें की लाटरी हेतु पर्चियों को अलग करके उन्हें क्रमशः विधिवत मोड़कर सार्वजनिक रूप से दिखाकर लाटरी के लिए निर्धारित किये गये पारदर्शी पात्र में इस प्रकार डाल दिया जायेगा, कि आवेदक आश्वस्त हो सकें कि सभी आवेदकों की पर्चियॉ पात्र में पड़ गयी हैं। पात्र में पर्चियॉ डाले जाने से पूर्व उक्त पात्र को उल्टा करके सभी व्यक्तियों को दिखाया जायेगा ताकि वे आश्वस्त हो सकें कि पात्र में पहले से कोई पर्ची नहीं पड़ी है। यह पात्र मंच पर इस प्रकार रखा जायेगा कि सभागार/पण्डाल में उपस्थित सभी व्यक्ति, विशेषकर उस दुकान के आवेदक भली–भॉति देख सकें।

11.14 जिलाधिकारी सभी आवेदकों की पर्चियों को पात्र में डालकर उसे पहले भली प्रकार मिला लेंगे तत्पश्चात् किसी व्यक्ति से एक पर्ची निकलवा लेंगे। जिस पंजीयन संख्या की पर्ची निकलेगी, उसे सार्वजनिक रूप से दिखाये जाने के पश्चात् उसी पंजीयन संख्या के आवेदनकर्ता के नाम दुकान आवंटित की जायेगी। एक ही व्यक्ति से बार–बार लाटरी की पर्चियां न निकलवायी जाय।

11.15 लाटरी में चयनित व्यक्ति की लाटरी की पर्ची पर समिति के सदस्यों व पर्यवेक्षक (यदि कोई हो) के हस्ताक्षर के उपरान्त **जी–14 पंजिका में दुकान का नाम अंकित कर उसके सामने उस लाटरी की पर्ची को चस्पा कर दिया जाये व पंजिका पर चयनित व्यक्ति के हस्ताक्षर भी कराये जायें।**

11.16 जिस व्यक्ति को दुकान आवंटित की जाय, उसको मौके पर ही इस आशय का एक पत्र भी निर्गत किया जाये, कि अमुक दुकान की लाटरी उसके नाम से निकली है। पत्र में बिन्दु–9.5 के अनुसार लाइसेंस फीस, बेसिक लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि जमा करने के लिए निर्देशित कर दिया जाय। पत्र में सफल आवेदक को दस दिन के अन्दर दुकान की चौहद्दी व अन्य विवरण भी प्रस्तुत करने के लिए लिखित रूप से निर्देशित कर दिया जाय। पत्र में स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया जाये कि यदि लाटरी में सफल आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर अपेक्षित धनराशि जमा नहीं की जाती तो उसकी दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में राज्यसात कर ली जायेगी।

11.17 सार्वजनिक लाटरी की कार्यवाही में पूर्ण निष्पक्षता व पारदर्शिता बरती जाये।

11.18 विज्ञापन एवं सार्वजनिक लाटरी की समस्त व्यवस्थाओं में पूर्ण मितव्ययिता बरती जाये।

11.19 दुकानों के आवेदन पत्रें पर किसी भी दशा में करेक्टिंग फ्लूड का प्रयोग न किया जाय। यदि किसी संख्या/शब्द को परिवर्तित करना अपरिहार्य हो तो एक लाइन से काटकर परिवर्तित किया जाये तथा आवेदन कर्ता द्वारा कटिंग को प्रमाणित किया जाय। करेक्टिंग फ्लूड लगे आवेदन पत्रें पर आवंटन हेतु विचार न किया जाये।

11.20 विदेशी मदिरा के उपभोग आगणन के सम्बन्ध में योजित पुनरीक्षण याचिका संख्या 30/2005 विवेक चौहान बनाम आबकारी आयुक्त व अन्य में शासन के निर्णय के अनुसार 4 पौवे जिसमें मात्र 720 एम0 एल0 होते हैं, को 750 एम0एल0 की बोतल न माना जाये अपितु 750 एम0एल0 होने पर ही एक बोतल की गणना अनुज्ञापन शुल्क के लिए उपभोग आगणित करने में की जाये। एम0डी0ओ0 में भी तदनुसार सूचना भेजा जाना सुनिश्चित किया जाये।

11.21 देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की व्यवस्थापन की प्राख्यापित नियमावलियों में निहित प्राविधानानुसार समय से जी–12 ग व छः 12(क) विवरण पत्र भेजना सुनिश्चित किया जाये।

11.22 देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स के व्यवस्थापन एवं आपूर्ति आदि के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे ।

11.23 नवसृजित दुकानों की प्रास्थिति उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 यथा संशोधित–2008 के साथ सहपठित आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के अर्द्ध शासकीय पत्र सं0 26020–22089/दस–लाइसेंस–400/दुकानों संख्या/स्थिति/02–03, दिनांक 15–02–02 तथा शुद्धि पत्र 26487–557/ दस–लाइसेंस–400/दुकानों संख्या/स्थिति/02–03, दिनांक 28–02–02 में दिये गये मार्गदर्शक सिद्वान्तों को दृष्टिगत रखते हुए रखी जाय।

12– समय सारिणी

12.1 विशिष्ट जोन/विस्तारित मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) में फुटकर आबकारी दुकानों हेतु शीर्ष सहकारी संस्था/निगमों के चयन हेतु समय सारिणी

क्रमांक	**तिथि**	**अभ्युक्ति**
1.	12.02.2009	विज्ञप्ति प्रकाशन
2.	21.02.2009	शीर्ष सहकारी संस्थाओं/निगमों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन पत्र पूर्ण कर जमा करने की अन्तिम तिथि सायं 5.00 बजे तक
3.	22.02.2009	आवेदनों का परीक्षण कर अर्ह आवेदकों का चिन्हांकन एवं एक से अधिक अर्ह आवेदन चिन्हित होने की दशा में सफल आवेदक हेतु लाटरी एवं आवेदक का चयन

12.2 प्रत्येक जोन के सी0एल0–1बी अनुज्ञापनों हेतु समय सारिणी

क्रमांक	तिथि	अभ्युक्ति
1.	12.02.2009	विज्ञप्ति प्रकाशन
2.	21.02.2009	समस्त संलग्नकों के साथ आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि सायं 5.00 बजे तक
3.	22.02.2009	जोन वार आवेदनों का परीक्षण कर अर्ह आवेदकों का चिन्हांकन एवं एक से अधिक अर्ह आवेदन चिन्हित होने की दशा में सफल आवेदक हेतु लाटरी एवं आवेदक का चयन। जोनवार अनुज्ञापन आवंटन।

12.3 सी0एल0–1सी अनुज्ञापनों हेतु समय सारणी :–

सी0एल0–1बी का चयनित अनुज्ञापी दिनांक 23.02.2009 से 27.03.2009 तक जोन के प्रत्येक जनपद हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस रू0 1.0 लाख व प्रतिभूति धनराशि रू0 10.0 हजार अदा करके सी0एल0–1सी अनिवार्य रूप से अनुज्ञापन प्राप्त करेगा।

12.4 एफ0एल0–2/2बी अनुज्ञापन हेतु समय सारिणी

क्रमांक	**तिथि**	**अभ्युक्ति**
1.	12.02.2009	विज्ञप्ति प्रकाशन
2.	14.02.2009 से 27.03.2009 तक	आवेदन करने की तिथि
3.	19.02.2009 से 31.03.2009 तक	अनुज्ञापन निर्गमन

12.5 आगरा, वाराणसी एवं लखनऊ जोन (बरेली प्रभार को छोड़कर) फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन की समय सारणी :–

क्रमांक	**कार्यवाही**	**दिनांक**
1.	**<u>प्रथम चरण (संलग्न सूची में अंकित जनपदों में)</u>** वर्ष 2009–10 की आबकारी नीति में दिए गए निर्देशानुसार दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र युक्ति–युक्त कर, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र/बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेस फीस/ प्रतिभूति धनराशि में वांछित वृद्धि कर देशी शराब की दुकानों की प्रास्थिति, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र (निर्धारित वृद्धि के साथ), बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि का विवरण तैयार किया जाना।	19.02.2009
2.	उपरोक्तानुसार ही विदेशी मदिरा, बियर की दुकानों तथा माडल शाप्स की लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि का विवरण तैयार किया जाना।	19.02.2009
3.	देशी मदिरा, की नवसृजित दुकानों के लिए निकायवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र एवं विदेशी मदिरा तथा बीयर की नवसृजित दुकानों के लिए निकायवार निर्धारित लाइसेंस फीस एवं माडल शाप्स के सम्बन्ध में आबकारी नीति में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार निर्धारित की जायेगी तथा इनका व्यवस्थापन भी लाटरी प्रक्रिया से आवेदन पत्र मांगकर किया जायेगा। ऐसी दुकानों के सम्बन्ध में देशी शराब के मामले में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र, बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि तथा विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप्स के मामले में लाइसेंस फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि अंकित करते हुए समाचार पत्र में विज्ञप्ति।	19.02.2009
4.	उपरोक्त समस्त दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र के साथ आवेदक के पते व पहचान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समस्त मानकों यथा पहचान पत्र, आयकर का पैन नम्बर, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस, किसान बही की कापी व क्रेडिट कार्ड की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ मॉगने एवं लाटरी हेतु आवेदन–पत्रें का विक्रय 20.02.2009 से प्रारम्भ तथा दिनांक 25.02.2009 को दोपहर 2.00 बजे तक करने एवं सायं 5.00 बजे तक जमा करने हेतु समाचार पत्रें में संक्षिप्त विज्ञप्ति का प्रकाशन।	19.02.2009
5.	**लाटरी हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि**	**25.02.2009 को सायं 5.00 बजे तक**
6.	आवेदन पत्रें का परीक्षण	26.02.2009 से 01.

		03.2009 तक
7.	सार्वजनिक लाटरी	**02.03.09 को प्रातः 11 बजे से समाप्ति तक**

1.	**<u>द्वितीय चरण (संलग्न सूची में अंकित जनपदों में)</u>** वर्ष 2009–10 की आबकारी नीति में दिए गए निर्देशानुसार दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र युक्ति–युक्त कर, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र/बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेस फीस/ प्रतिभूति धनराशि में वांछित वृद्धि कर देशी शराब की दुकानों की प्रास्थिति, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र (निर्धारित वृद्धि के साथ), बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि का विवरण तैयार किया जाना।	22.02.09
2.	उपरोक्तानुसार ही विदेशी मदिरा, बियर की दुकानों तथा माडल शाप्स की लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि का विवरण तैयार किया जाना।	22.02.09
3.	देशी मदिरा, की नवसृजित दुकानों के लिए निकायवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र एवं विदेशी मदिरा तथा बीयर की नवसृजित दुकानों के लिए निकायवार निर्धारित लाइसेंस फीस एवं माडल शाप्स के सम्बन्ध में आबकारी नीति में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार निर्धारित की जायेगी तथा इनका व्यवस्थापन भी लाटरी प्रक्रिया से आवेदन पत्र मांगकर किया जायेगा। ऐसी दुकानों के सम्बन्ध में देशी शराब के मामले में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र, बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि तथा विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप्स के मामले में लाइसेंस फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि अंकित करते हुए समाचार पत्र में विज्ञप्ति।	22.02.09
4.	उपरोक्त समस्त दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र के साथ आवेदक के पते व पहचान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समस्त मानकों यथा पहचान पत्र, आयकर का पैन नम्बर, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस, किसान बही की कापी व क्रेडिट कार्ड की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ मॉगने एवं लाटरी हेतु आवेदन–पत्रें का विक्रय 23.02.2009 से प्रारम्भ तथा दिनांक 03.03.2009 को दोपहर 2.00 बजे तक करने एवं सायं 5.00 बजे तक जमा करने हेतु समाचार पत्रें में संक्षिप्त विज्ञप्ति का प्रकाशन।	22.02.2009
5.	**लाटरी हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि**	03.03.09 के सायं 05 बजे तक
6.	आवेदन पत्रें का परीक्षण	04.03.09 से 06. 03.09 तक
7.	सार्वजनिक लाटरी	07.03.09 को 11 बजे से समाप्ति तक

1.	**<u>तृतीय चरण (संलग्न सूची में अंकित जनपदों में)</u>** वर्ष 2009–10 की आबकारी नीति में दिए गए निर्देशानुसार दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र युक्ति–युक्त कर, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र/बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेस फीस/ प्रतिभूति धनराशि में वांछित वृद्धि कर देशी शराब की दुकानों की प्रास्थिति, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र (निर्धारित वृद्धि के साथ),	25.02.09

	बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि का विवरण तैयार किया जाना।	
2.	उपरोक्तानुसार ही विदेशी मदिरा, बियर की दुकानों तथा माडल शाप्स की लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि का विवरण तैयार किया जाना।	25.02.09
3.	देशी मदिरा, की नवसृजित दुकानों के लिए निकायवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र एवं विदेशी मदिरा तथा बीयर की नवसृजित दुकानों के लिए निकायवार निर्धारित लाइसेंस फीस एवं माडल शाप्स के सम्बन्ध में आबकारी नीति में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार निर्धारित की जायेगी तथा इनका व्यवस्थापन भी लाटरी प्रक्रिया से आवेदन पत्र मांगकर किया जायेगा। ऐसी दुकानों के सम्बन्ध में देशी शराब के मामले में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र, बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि तथा विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप्स के मामले में लाइसेंस फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि अंकित करते हुए समाचार पत्र में विज्ञप्ति।	25.02.09
4.	उपरोक्त समस्त दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र के साथ आवेदक के पते व पहचान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समस्त मानकों यथा पहचान पत्र, आयकर का पैन नम्बर, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस, किसान बही की कापी व क्रेडिट कार्ड की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ मॉगने एवं लाटरी हेतु आवेदन–पत्रें का विक्रय 26.02.2009 से प्रारम्भ तथा दिनांक 07.03.2009 को दोपहर 2.00 बजे तक करने एवं सायं 5.00 बजे तक जमा करने हेतु समाचार पत्रें में संक्षिप्त विज्ञप्ति का प्रकाशन।	25.02.2009
5.	**लाटरी हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि**	07.03.09 के सायं 05 बजे तक
6.	आवेदन पत्रें का परीक्षण	08.03.09 से 13. 03.09 तक
7.	सार्वजनिक लाटरी	14.03.09 को 11 बजे से समाप्ति तक

12.6 अवशेष दुकानों के व्यवस्थापन हेतु लाटरी

1.	प्रत्येक चरण में अवशेष दुकानों के व्यवस्थापन हेतु प्रथम लाटरी के पश्चात् उसके अगले दिवस को विज्ञाप्ति निर्गत की जायेगी एवं अन्य प्रक्रिया दो कार्यदिवस सहित की जायेगी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी तद्नुसार विज्ञाप्ति निर्गत करेंगे।	

12..7 भांग की दुकानें		
1.	भॉग की फुटकर दुकानों की नीलामी	15.03.2009 को

12.8 दुकानों का दैनिक आधार पर संचालन		
1..	दैनिक आधार पर दुकानों का व्यवस्थापन करने हेतु सार्वजनिक लाटरी से अवशेष देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बियर/मॉडल शॉप एवं मांग की दुकानों को दिनांक 01.04.2009 से दैनिक व्यवस्थापन संचालन हेतु विज्ञापन	31.03.2009 को प्रातः 11 बजे
2..	दैनिक आधार पर दुकानों का व्यवस्थापन	01.04.2009 को प्रातः 9 बजे

12.9 **<u>जनपदों का विवरण जिनका व्यवस्थापन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में किया जायेगाः–</u>**

क्रमांक	प्रथम चरण के जनपद	द्वितीय चरण के जनपद	तृतीय चरण के जनपद
1ण	चंदौली	गाजीपुर	वाराणसी
2ण	कौशाम्बी	जौनपुर	इलाहाबाद
3ण	सिद्धार्थनगर	फतेहपुर	मिर्जापुर
4ण	संत कबीर नगर	प्रतापगढ़	गोरखपुर
5ण	बाराबंकी	संतरविदास नगर	कुशीनगर
6ण	श्रावस्ती	बलिया	आजमगढ़
7ण	सोनभद्र	मऊ	लखनऊ
8ण	महामायानगर	देवरिया	खीरी
9ण	कांशीराम नगर	महराजगंज	सीतापुर
10ण	औरैया	बस्ती	फैजाबाद
11ण	ललितपुर	हरदोई	गोण्डा
12ण	महोबा	रायबरेली	आगरा
13ण	—	उन्नाव	मैनपुरी
14ण	—	सुल्तानपुर	अलीगढ़
15ण	—	अंबेडकरनगर	कानपुर नगर
16ण	—	बहराइच	इटावा
17ण	—	बलरामपुर	फर्रूखाबाद
18ण	—	एटा	झांसी
19ण	—	कानपुर देहात	जालौन
20ण	—	कन्नौज	बांदा
21ण	—	हमीरपुर	मथुरा
22ण	—	चित्रकूट	फिरोजाबाद

12.10—अन्य

- देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र एवं माडल शाप्स के लिए आवेदन पत्र जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी, उपायुक्त प्रभार, संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन एवं आबकारी आयुक्त,उ0प्र0 कार्यालय इलाहाबाद से क्रमशः रु0 3,000/— एवं 5,000/— की प्रोसेसिंग फीस का डिमान्ड ड्राफ्ट जो कि जिला आबकारी अधिकारी संबंधित जनपद/आबकारी आयुक्त,उ0प्र0 को प्रतिश्रुति हो अथवा नगद जमा करके प्राप्त किये जा सकते है। सभी तरह के पूर्ण निर्धारित देयताओं के साथ आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक अथवा कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में निर्धारित तिथि के एक दिन पूर्व तक जमा कराये जा सकेंगे।
- किसी व्यक्ति द्वारा एक या अधिक दुकानें आवेदित की जा सकेंगी, किन्तु प्रत्येक दुकान के लिए अलग—अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप्स की दुकानों की (न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र व बेसिक लाइसेंस फीस, केवल देशी शराब की दुकानों हेतु) लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि व धरोहर धनराशि के सम्बन्ध में संक्षिप्त विज्ञप्ति सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारी/ जिलाधिकारी के स्तर से निर्गत की जायेगी। इच्छुक आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/ जिला आबकारी अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

ह0 — अपठनीय

समस्त जिलाधिकारी, (सुधीर एम0 बोबडे)

उत्तर प्रदेश।

संख्या 25552–25740/दस–लाइसें स–367/खण्ड–3/सुझावआबकारीनीति/2009–10/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उ0प्र0।
4. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
5. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वे अपने स्तर से भी देशी शराब के एम0जी0क्यू0 व विदेशी मदिरा एवं बीयर के अनुज्ञापन फीस के आगणन का परीक्षाण करा ले, जिससे किसी प्रकार की राजस्व क्षति सम्भव न हो सके।
6. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन)/प्रभारी अधिकारी, आसवनियॉ/बाण्ड धारक, उ0प्र0।
8. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
9. गार्ड फाइल।

ह0 / अपठनीय

(सुधीर एम0 बोबडे)

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश ।